न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या– 428/2026
घुरना थाना कांड संख्या– 04/2026

शिव नंद पासवान उर्फ शिवन पासवान उर्फ शिव नारायण पासवान.....आवेदक

बनाम

राज्य सरकार

आदेश

16-06-2026 अभिरक्षाधीन आवेदक/अभियुक्त शिव नंद पासवान उर्फ शिवन पासवान उर्फ शिव नारायण पासवान, पिता–झब्बी पासवान की ओर से घुरना थाना कांड संख्या– 04/2026, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 3(5) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक इस वाद में दिनांक 17.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश नारायण सिन्हा एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचिका मुसहरनी देवी के अनुसार यह है कि दिनांक 12.01.2026 को समय करीब 04 बजे संध्या में उसका पुत्र किराना दुकान में सामान खरीदने गया, तो सुनील पासवान बोलने लगा कि तुम्हारे पिता ने हम लोगों से जमीन खाली करवा लिया। बात–बात पर बात बढ़ गयी और उसके पुत्री को अभियुक्तगण मारने लगा। जब सूचिका बचाव करने गयी तो सुनील पासवान ने जान मारने की नियत से सर पर मारा जिससे वह जख्मी हो गयी तथा उसके हाथ का बाला चांदी व पांच हजार रूपया निकाल लिया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक के द्वारा पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0–284/2026 श्रीमान के न्यायालय में दाखिल किया गया था, जिसे वापस ले लिया गया था, इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक को ग्रामीण राजनीति एवं दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष या विशिष्ट आरोप नहीं है। सह–अभियुक्त संजय पासवान को श्रीमान के न्यायालय से जमानत मिल चुका है। ललिता देवी ने घुरना थाना कांड सं0–02/26 सूचक के विरूद्ध दर्ज कराया है। आवेदक दिनांक 17.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रासंगिक कांड की प्राथमिकी आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 3(5) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। उभय पक्षों के द्वारा एक–दूसरे के विरूद्ध पलटा–मुकदमा किया गया है। कांड दैनिकी के पारा 35 में जख्म प्रतिवेदन दर्शित है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि चिक्तिसक के द्वारा जख्मी का सभी जख्में साधारण प्रकृति का होना बताया गया है। कांड दैनिकी के पारा 36 में आवेदक के विरूद्ध केवल एक आपराधिक इतिहास है। आवेदक दिनांक 17.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदक द्वारा मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(शशि भूषण कुमार)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।